न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

पीठासीन अधिकारीः श्याम सिंह शेखावत आर.ए.एस
अपील संख्याः 648/2019

श्रवण पुत्र छोटूराम जाति जाट, निवासीः ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर।

..... **अपीलार्थी**

बनाम

1. सीताराम पुत्र हनुमान प्रसाद
2. मनभर पत्नि सीताराम
3. तरसेग कुमार पुत्र सीताराम
4. अमित कुमार पुत्र सीताराम
   समस्त जाति ब्राहम्ण, निवासीः ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर।
5. मोहन लाल मीणा पुत्र स्व. गुमान मीणा
6. कैलाश मीणा पुत्र गुमान मीणा
7. जगदीश मीणा पुत्र गुमान मीणा
8. मनभर पत्नि गुमान मीणा
   समस्त जाति मीणा, निवासीः ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर।
9. सीता पुत्री गुमान मीणा पत्नि राजू मीणा, जाति मीणा, निवासीः ग्राम खेजरोली, तहसील चौमू, जिला जयपुर।
10. मूलचन्द मीणा पुत्र रघुनाथ मीणा
11. कालूराम पुत्र मंगलाराम
12. पेपा देवी पत्नि मंगलाराम
13. कानी देवी पत्नि श्रवणलाल
    समस्त निवासीः ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर जिला जयपुर।

.....**रेस्पोडेन्ट्स**

अपील विरूद्व प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 13.09.2019 न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर जयपुर वाद पत्र संख्या 140/2006 उनवान सीताराम बनाम मालीराम अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

:—निर्णय—: दिनांक 11/8/2021

1. अपीलार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर जयपुर के प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 13.09.2019 वाद पत्र संख्या 140/2006 बउनवानी सीताराम बनाम मालीराम के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि खाता संख्या 202 के अंतर्गत भूमि खसरा नंबर 1193 रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा ग्राम पचार तहसील व जिला जयपुर में स्थित है। खसरा नंबर 1193 रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा के वादीगण व प्रतिवादीगण सह कृषक खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रिकॉर्ड अनुसार विवादित भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 श्रवण पुत्र छोटूराम का 5/38

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 कालूराम पुत्र मंगलाराम का 7/52 हिस्सा, नाथू, सांवतराम, लालाराम, गोपाल व श्रवणलाल, प्रतिवादी संख्या 5 कालूराम पुत्र मंगलाराम प्रतिवादी संख्या 6 का 5/34 हिस्सा तथा वादीगण संख्या 1 लगायत 4 का 3/34 हिस्सा था। इसी अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्सों की भूमि पर काबिज होकर कब्जा काश्त में रहे एवं लगान राज्य सरकार को अदा करते आ रहे है। विवादित भूमि का वादीगण व अन्य सह खातेदारों के मध्य 19 वर्ष पूर्व तब जब वादीगण द्वारा उक्त भूमि बोदू सिंह, महेन्द्र सिंह, श्रीमती दाखा देवी व राजू सिंह से वर्ष 1994 में क्रय की और क्रय करने के समय ही भूमि पर उक्त बोदू सिंह, महेन्द्र सिंह, श्रीमती दाखा देवी व राजू सिंह से कब्जा प्राप्त किया तब से वादीगण उक्त भूमि पर काबिज है तथा तब ही उक्त भूमि खसरा नंबर 1193 का विभाजन आपसी रजामंदी से मौके पर पक्षकारान ने कर लिया तथा वादीगण ने अपनी भूमि को डवलपमेन्ट करने व सिंचाई व्यवस्था में लाखों रूपयें खर्च कर दिये जिसके अनुसार वादीगण के हक व हिस्सा उत्तर दिशा की ओर सडक से लगती भूमि आयी जो वादीगण अपने हिस्से पर आवासीय मकानात का निर्माण करवा लिया तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के हिस्सा में दक्षिण दिशा की भूमि आयी जिस पर प्रतिवादीगण द्वारा मकानात बना रखे है तथा प्रतिवादी संख्या 5 कालू तथा प्रतिवादी संख्या 6 पेपा के हिस्से में प्रतिवादी संख्या 4, प्रतिवादी संख्या 7 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के बीच की भूमि आयी है जिस पर मकानात बने है। प्रतिवादी संख्या 4 श्रवण व प्रतिवादी संख्या 7 कानी देवी के हिस्से में पश्चिम दिशा में रोड से लगती हुई भूमि आयी है जिस पर कुंआ व मकानात बने हुये है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 बाहमी तकासमा के अनुसार अपने अपने हक व हिस्से पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते रहे है भूमि बाबत पूर्व में कोई विवाद नहीं हुआ किन्तु सांवतराम, लालाराम, गोपाल व नाथू द्वारा अपना 4/6 वां हिस्सा दर हिस्सा 5/34 प्रतिवादी संख्या 6 पेपा देवी व प्रतिवादी संख्या 7 कानी देवी को 5/6 दर हिस्सा 5/34 को विक्रय पत्र बेचान कर देने पर नामान्तकरण संख्या 269 दिनांक 20.08.2005 के तस्दीक होने पर दिनांक 24.10.2006 को प्रतिवादीगण, वादीगण से वाद विवाद करने लगे तथा कहने लगे कि हम तो जबरन तुम्हारी भूमि पर कब्जा करेगे। वादीगण के यह कहने पर कि इस जमीन का बाहमी बंटवारा हो चुका है वादीगण की उक्त भूमि के पास ही स्थित वादीगण की दूसरे खसरा नंबर 1195 की भूमि स्थित है जिससे वादीगण को कृषि कार्य करने में सहूलियत होती है तथा इस बाहमी तकासमा के आधार पर वादीगण अपनी भूमि पर काबिज है तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम किसी तकासमा को नहीं जानते वादीगण के वर्ष 1994 से चले आ रहे अपने कब्जे के आधार पर विधिवत रूप से तकासमा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया। इस कारण वादीगण विधिवत रूप से कब्जे के आधार पर तकासमा माननीय न्यायालय द्वारा कराने के कानूनन अधिकारी है। वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी वाद विरूद्व प्रतिवादी तकासमा डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नंबर 1193 रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा, ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर के वर्तमान कब्जे काश्त के आधार पर तकासमा किया जाकर वादी का अलग से खाता कायम किया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी में आई तकासमाशुदा भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी उत्पन्न नहीं करे न ही काश्त कने अथवा उपयोग व उपभोग में व्यवधान डाले, न ही

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर (राजस्थान)

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

वादीगण को बेदखल कर जबरन कब्जा करने का प्रयास करे तथा न ही ऐसा कोई कृत्य किसी अन्य व्यक्ति से करावे। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनकर बाद बहस मनन, दिनांक 13.09.2019 को प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित कर तहसीलदार जयपुर को आदेशित किया कि विवादग्रस्त आराजीयात ग्राम पचार, तहसील व जिला जयपुर के खाता संख्या 202 के अंतर्गत भूमि खसरा नंबर 1193 रकबा 34 बीघा 2 बिस्वा का बंटवारा/तकासमा सभी पक्षकारान की उपस्थिति में राजस्व रिकॉर्ड हिस्सेनुसार विभाजन नियमों के तहत् बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर उभयपक्षों की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी विभाजन नियम 18 से 21 की पालना करते हुये राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से/मौके पर कब्जे को प्राथमिकता देते हुए, सभी पक्षकारान को राजस्व नियमों के अनुसार नोटिस जारी कर, स्वयं मौके पर उपस्थित होकर तकासमा कर, कुरैजात रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर तलबी रेस्पोडेन्ट्स जारी की गई। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली वास्ते बहस धारा 151 सी.पी.सी. हेतु नियत थी किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिवस को जवाब दावा रिकॉर्ड पर लेते हुए बिना अपीलान्ट का पक्ष सुने ही प्राथमिक निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से हुये बंटवारे के अनुसार विधिवत बंटवारा नहीं किया गया जबकि वादी द्वारा पूर्व में आपसी सहमति से हुये बंटवारे अनुसार ही तकासमा किये जाने का अनुतोष वाद के माध्यम से चाहा गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में तनकीयात कायम न कर, दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार प्रतिपादित प्रक्रिया अनुसार अपीलाधीन निर्णय पारित नहीं किया हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 13.09.2019 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलान्ट के कथनों का खंडन करते हुये निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व मंडल के विभाजन के नियमों अनुसार सरस नरस के आधार पर, जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार प्राथमिक निर्णय डिक्री पारित की है साथ ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त पक्षकारान को सुनवाई का संपूर्ण अवसर प्रदान करते हुये ही निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी ने मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने के उद्देश्य से आधारहीन तथ्यों का समावेश करते हुये अपील प्रस्तुत की है, जो खारिज फरमाई जावे।

4. वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। अपील मीमों एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचाराधीन प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने के पश्चात् प्रकरण जवाब वाद हेतु नियत था किन्तु प्रतिवादी द्वारा जवाब वाद निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत नहीं किये जाने से जवाब वाद प्रस्तुत किये जाने को प्रतिबन्धित किया गया, जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.04.2012 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

बहस पक्षकारान समायत की जाकर प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जवाब वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 08.08.2012 को जवाब वाद प्रस्तुत हो जाने के पश्चात् प्रकरण वास्ते कायमी तनकीयात नियत किया गया। दिनांक 03.05.2016 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत हुआ। दिनांक 17.07.2019 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की बहस बाबत् प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी सुनी जाकर प्रकरण वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी नियत किया गया एवम् अपने आदेश दिनांक 13.09.2019 के द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 जाप्ता दीवानी पर आदेश पारित करते हुए ही वाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई, जिसके विरूद्व इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत हुई है। इस सन्दर्भ में जैसा की पूर्व में विवेचन किया जा चुका है कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण धारा 151 जाप्ता दीवानी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.08.2012 अनुसार वास्ते तनकीयात कायम किये जाने हेतु नियत था किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयात विरचित न कर सीधे ही वाद में प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई जो वाद के निस्तारण हेतु विधि द्वारा प्रतिपादित मूल प्रक्रिया के विरूद्व है जिससे पक्षकारान् को वाद में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ एवं पक्षकारान प्रकरण से संबंधित साक्ष्य अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये। उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद में तनकीयात विरचित न कर, पक्षकारान् से साक्ष्य ग्रहण न कर प्रक्रियात्मक त्रुटि कारित करत हुए, सम्पूर्ण विवेचनात्मक निर्णय पारित नहीं किया गया है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय खारिज किया जाना न्यायोचित है।

5. अतः अपीलान्ट स्वीकार कर, अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर जयपुर द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय डिक्री दिनांक 13.09.2019 खारिज किये जाते है। पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वाद में तनकीयात विरचित कर, पक्षकारान् से साक्ष्य ग्रहण कर, विधि द्वारा प्रतिपादित निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत् सम्पूर्ण विवेचनात्मक निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 11/8/21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर